संख्या-21/2019/1774/22-2-2018-17(401)/2018

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 15 जनवरी, 2019***

विषय:- जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम सरन पुत्र श्री शिवराम, निवासी जनपद-सीतापुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31595/प्रोबे0-5/दया0(बैठक-07.08.2018) दिनांक 06-09-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी राम सरन पुत्र श्री शिवराम, निवासी-बेंहटी थाना सदरपुर जिला-सीतापुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पुरानी दुश्मनी एवं खलिहान के विवाद को लेकर दिनांक 04.07.1978 को 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बांका, गडासा, लाठी व काता से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-61/1979 धारा 302/149,201,148, आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोट सं0-02 सीतापुर के आदेश दिनांक 27.02.1982 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.12.2015 द्वारा यथावत रखा गया है। दिनांक 01.12.2017 तक 01 वर्ष 07 माह 05 दिन की अपरिहार सजा तथा 01 वर्ष 09 माह 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गाठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राम सरन(बंदी संख्या-210/2016) पुत्र श्री शिवराम, निवासी जनपद-सीतापुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-21/2019/1774(1)/22-2-2018 तद्वदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
2- अधीक्षक,जिला कारागार, सीतापुर ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in